प्रेस नोट-थाना पुवायां
जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक - 16.09.2026

"थाना पुवायां पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को मय घटना में प्रयुक्त हसिया सहित किया गिरफ्तार।"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार अपराध की रोकथाम एवं चिन्हित किये गये अपराधियों, वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एंव अपराध की रोकथाम के परिपेक्ष्य में प्रचलित अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन में, श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना पुवायां के कुशल नेतृत्व में थाना पुवायां पुलिस टीम को बडी सफलता हासिल हुई।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 15.09.26 को वादिनी द्वारा थाना पुवायां पर दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 560/26 धारा 109(1) बीएनएस बावत अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र स्व0 रामकुमार नि0 ग्राम कहमारा, थाना पुवायां, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादिनी के पति जान से मारने की नियत से हसिया मारकर गम्भीर रुप से घायल कर देना के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 16.09.26 को थाना पुवायां पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र स्व0 राजकुमार, उम्र 35 वर्ष, नि0 ग्राम कहमारा, थाना पुवायां, जनपद शाहजहाँपुर को निगोही रोड पर जठियापुर बुजुर्ग पुलिया पर से समय 08:19 बजे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर अभियुक्त के घर से हसिया कब्जा पुलिस लिया गया। गिरफ्तारी अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र स्व0 राजकुमार, उम्र 35 वर्ष, नि0 ग्राम कहमारा, थाना पुवायां, जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 560/2026 धारा 109(1) बीएनएस, थाना पुवायां, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान

दिनांक 16.09.26 को समय 08.19 बजे, निगोही रोड पर जठियापुर बुजुर्ग पुलिया पर से।

बरामदगी का विवरण

घटना में प्रयुक्त हसिया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

उ0नि0 श्री कपिल देव
का0 अनिल कुमार
का0 कर्मवीर